जयपुर में जुआ खेल रहे 22 लोग गिरफ्तार

पुलिस से बचने के लिए अड्डे के आसपास कैमरे लगा रखे थे, तीन लेयर में रहती थी सिक्योरिटी

जयपुर, 8 नवम्बर (का.सं.)। जयपुर पुलिस ने बगरू वालों के रास्ते से छापेमारी कर जुआ खेल रहे 22 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान सटोरियों की सिक्योरिटी देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस से बचने के लिए सट्टे के अड्डे से 300 मीटर आगे तक सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अड्डे पर एंट्री से पहले तीन लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होता था।

डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने सटोरिए के अड्डे पर छापेमारी के लिए 50 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया था। टीम ने यहां से चांद मुबारिक, अनिल कुमार, फिरोज, विनोद कुमार, मुर्तजा, रज्जाउल्ला, राधेश्याम, कालूराम पारीक, हेमंत कुमार, महमूद कुरैशी, कैलाश शर्मा, विष्णु, राजू मीणा, विकास, बबलू, बनवारी लाल शर्मा, सलीम, वासुदेव, इरशाद, महेश, विनोद जांगिड़ और कुंज बिहारी को गिरफ्तार किया है। यह सभी परकोटे के रहने वाले हैं। फरार गन्या नाहरगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इस पर मारपीट, आर्म्स एक्ट और जुए के प्रकरण दर्ज है।

तीन माह से पीछे लगी हुई थी पुलिस

एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया- सटोरिए गन्या के पीछे पुलिस तीन माह से लगी हुई थी। जैसे ही उसे पुलिस की भनक लगती थी। वह काम बंद कर देता था। पुलिस ने प्लान बनाकर काम किया। लगातार नजर रखी। जैसे ही सट्टे का काम चालू किया तो छापेमारी कर दी।

कट्स के अमर दीप सिंह केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी सुधार कार्य समूह में विशेषज्ञ नियुक्त

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 8 नवम्बर (का.सं.)। जयपुर स्थित वैश्विक संस्थान कट्स के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमर दीप सिंह को भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित शहरी शासन सुधारों पर कार्य समूह में विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। यह कार्य समूह पूरे भारत में शहरी सरकारों की संरचना, अधिकार और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थायी और प्रगतिशील शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा।

शहरी शासन में मजबूत पृष्ठभूमि के साथ, कट्स प्रभावी, समावेशी और जवाबदेह शहरी शासन को बढ़ावा देने के लिए नीति अनुसंधान में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सार्वजनिक नीति और शहरी शासन में एक विशिष्ट पहचान के साथ, सिंह इस कार्य समूह में ज्ञान और लंबा अनुभव रखते है। कट्स में, उन्होंने कुशल, पारदर्शी और समावेशी शहरी शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो देश के शहरी शासन ढांचे को मजबूत करने में मंत्रालय के उद्देश्यों के साथ समाहित है।

शहरी मंत्रालय का कार्य समूह समावेशी नीति-निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों के महत्व को रेखांकित करता है। यह पहल शासन सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने के लिये की गई है, जिसका उद्देश्य संरचनात्मक और समायोजन के माध्यम से शहरी सरकारों को सशक्त बनाना है जो राज्यों में स्थानीय लोकतंत्र और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं। सिंह की भागीदारी पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह शहरी शासन के लिए कट्स के दृष्टिकोण से योगदान देगी, और शहरी मंत्रालय के मिशन का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव से सुधार लाएगी।

स्टेट रिव्यू मिशन, 34 टीमों ने 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों का किया निरीक्षण

जयपुर, 8 नवम्बर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेशभर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है, ताकि लोगों को चिकित्सा संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिले। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 ?चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इन टीमों ने सांभरलेक, जोबनेर, चाकसू, माधोराजपुरा, बस्सी एवं सांगानेर ब्लॉक के 104 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। इसमें जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जनता क्लिनिक सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। टीमों ने इन संस्थानों में कार्मिकों की उपस्थिति, भवन एवं साफ-साफ की स्थिति, ओपीडी एवं आईपीडी में रोगियों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता, जांचों की संख्या, अक्रियाशील उपकरण, इंस्टॉल नहीं हुई जांच मशीनों, आरएमआरएस में उपलब्ध फण्ड, अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी, संस्थागत प्रसव, नसबंदी, टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति एवं प्रगति के बारे में बिंदुवार निरीक्षण किया। टीमों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, जिन चिकित्सा संस्थानों में खामियां पाई गई हैं, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

दिव्यांगो को सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी देकर जागरूक बना रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता देवी सिंह देवल

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

बिलाड़ा, 8 नवम्बर (का.सं.)। क्षेत्र के उदलियावास कूपडावास खारिया मीठापुर कालाऊना झाक बिजवाडिया जैतीवास पिचियाक रणसी गांव आदि गांवों में दिव्यांगों को जागरूक बनाने का कार्य सामाजिक कार्यकर्ता देवी सिंह देवल द्वारा किया जा रहा है सरपंच कालाऊना पवन कंवर उदावत व सरपंच बिजवाडीया महेंद्र राम ओढ़ाना ने बताया कि समाजसेवी देवी सिंह देवल कूपडावास द्वारा क्षेत्र के अनेकों गांवों में विशेष योग्यजन दिव्यांग व्यक्तियों का चिन्हित करवा कर उनको ऑनलाइन दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पंजीयन करवाना एवं उनका दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाना उनके लिए रोडवेज पास बनवाना व दिव्यांगो के अधिकारों के लिए जागरूक बनाने का कार्य किया जा रहा है सरपंच उदावत ने बताया कि देवी सिंह देवल पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य के साथ-साथ दिव्यांग जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं जिससे दिव्यांगजन सशक्त हुए हैं देवल दिव्यांग जनों से बड़ी आतमियतता से मिलकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य भी कर रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिव्यांगों को दिला रहे हैं देवल ने आसपास के गांवों के 100 से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने व जागरूक बनाने का कार्य कर रहे हैं वहीं दिव्यांगों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी देना व राजस्थान जनसुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की जानकारी देना आदि जानकारीया देकर दिव्यांगों को सशक्त बनाने का एवं स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है देवल द्वारा किए जा रहे दिव्यांगों के कल्याण सशक्तिकरण कार्य के साथ समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं देवल द्वारा किए जा रहे इन कार्यों के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एवं एनजीओ ने सामाजिक कार्यकर्ता देवी सिंह देवल कूपडावास को समय-समय पर प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित पुरस्कृत किया है देवल द्वारा किए जारहे समाज सेवा एवं दिव्यांग जन जागरूकता कार्य की उदलियावास सरपंच गोविंद राम सरगरा झाक सरपंच ललिता देवी चौधरी जैतीवास सरपंच मनोहर सिंह राजपूत ने सराहना की है आसपास के गांवों में विभिन्न सामाजिक संगठनों व जन प्रतिनिधियों द्वारा भी सराहना की जा रही है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

अंचल कार्यालय, 30-31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर -302021 फोन नंबर: 0141-2358350,2358628

बैंक ने जयपुर के आंचलिक कार्यालय में फिजियो थेरेपिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, आवेदन पत्र पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पात्रता का विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2024 सायं 5:00 बजे तक है।

आँचलिक प्रबंधक

सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में चंडीगढ़ दमकल विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सुरक्षा उपकरणों का कारोबार करने वाली एक कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में चंडीगढ़ दमकल विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गये अधिकारियों में से एक दमकल केंद्र अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने बृहस्पतिवार को मनीमाजरा केंद्र के 'लीड फायरमैन' कमलेश्वर नेहरा को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह एसएफओ (दमकल केंद्र अधिकारी) दशेरू सिंह की ओर से एक इंजीनियर से कथित तौर पर 80 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, और बाद में सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड
(पूर्व मे एआरटी एफॉर्डेबल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित)
पंजी. कार्यालय : 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
शाखा कार्यालय : 49, उद्योग विहार, फेज-4, गुरूग्राम, हरियाणा - 122015

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (एम) (iv) के अंतर्गत **एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड**, एक वित्तीय संस्थान जिसका पंजीकृत कार्यालय 107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में हैं। इसके बाद **("प्रतिभूत क्रेडीटर"वर्णित)** नीचे दिए गए ऋण खाता संख्या में वर्तमान सूचना दे रहे हैं। जिसे गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) दि.**05.11.2024** घोषित किया गया था।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का पता	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का पता	मांग सूचना 13(2) की तिथि	बकाया राशि
1.	LNGGN02717-180002150	सुभाष बंसल और उमा बनल	हाउस नं.- 640, सूरत नगर फेज-1, गली नं. 19 ए, गोदरेज टावर, गुरूग्राम, हरियाणा, 122001 हाउस नं. 50, ग्राउंड फ्लोर, कमरा नं. 03, मुख्य गांव सुखराली जिला, गुरूग्राम, हरियाणा, 122001 हाउस नं. 16, ग्रुप-05, यूआईटी, सेक्टर-03, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, 301019	संपत्ति फ्लैट संख्या 0-624, 6वीं मंजिल, ब्लॉक/टॉवर एल2/आर्किड 550 वर्ग फीट है। सुपर निर्मित क्षेत्र (395.57 वर्ग फीट के कालीन क्षेत्र के अनुरूप) "जन आवास वाटिका" में खसरा संख्या 738/929, गांव-राबरका, तहसील तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान में स्थित है।	06.11.2024	रू. 9,85,520.00/- (नौ लाख अस्सी हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)
2.	LNAWR06918-190006236	छाजू, माया, बुध राम और लातूर राम	चूड़ला, अलवर, राजस्थान - 301427	संपत्ति पट्टा संख्या 24 है, जो गांव चुडला, तहसील मुंडावर और जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है (माप 184.00 वर्ग गज)	06.11.2024	रू. 11,46,708.00/- (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ आठ रूपये मात्र)

संबोध्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा एएचएफएल यहां वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सूचना एएचएफएल को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के प्रति उपचार रहित है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

दिनांक : 09.11.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : अलवर (राजस्थान) एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर नियमित पीठ करेगी फैसला: न्यायालय

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नई पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया और 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर विचार के लिए मानदंड निर्धारित किए। प्रधान न्यायाधीश ने 4:3 के बहुमत के फैसले में कहा, ''अजीज बाशा (1967 के फैसले) में अपनाया गया यह दृष्टिकोण कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी कानून के माध्यम से अपना वैधानिक चरित्र प्राप्त करता है तो वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है, खारिज किया जाता है।''

प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में फैसला दिया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं, इस पर फैसला इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।'' निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक रिकॉर्ड को नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा ताकि अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर निर्णय लेने के अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के खिलाफ अपीलों पर निर्णय लिया जा सके। जनवरी 2006 में उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था।

अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चार अलग-अलग मत हैं जिनमें तीन असहमति वाले फैसले भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने असहमति वाले अपने फैसले में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा जाना सही नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने भी इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि इससे एक ''खतरनाक मिसाल'' कायम हो सकती है।

ओडिशा में कॉलेज की छात्रा से उसके प्रेमी और अन्य ने दुष्कर्म किया, छह गिरफ्तार

कटक/भुवनेश्वर, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। ओडिशा के कटक जिले में कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय एक छात्रा से कई बार दुष्कर्म करने और इस कृत्य का वीडियो बनाने के आरोप में एक नाबालिग समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पीड़िता ने कटक के बादामबाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि उसके प्रेमी सहित अन्य आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कॉलेज की छात्रा ने दावा किया कि वह दशहरा उत्सव के दौरान अपना जन्मदिन मनाने के लिए कटक के पुरीघाट में एक कैफे में गई थी और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर कैफे मालिक की मदद से वहां उनके कुछ अंतरंग क्षणों का वीडियो बना लिया।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय : - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन : - 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
भिवाड़ी शाखा:- ए-10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान। **बीकानेर शाखा:**- बी-46-बी, द्वितीय तल, सादुल गंज, बीकानेर-334002

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निर्दशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निर्दशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/BHI/0317/360779, बी.ओ.: भिवाड़ी, विवेक कुमार पांडे/प्रतिभा पांडे	14.11.2024 तक रु. 888998.06	भौतिक कब्जा	बियरिंग एफ-71, प्रथम, एफ-71, शुभाश्रय, खसरा नंबर 1602,162/2171,1607,1608,1631 2356/1596, 2355/1595,1599, अलवर, ग्राम ईशरोदा तिजारा जिला, अलवर, राजस्थान-301019, माप 485 वर्ग. फुट	रु. 504000	रु. 50400	28.11.2024	रु. 10,000	18.11.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	29.11.2024 पूर्वा. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/BHI/0717/407212, बी.ओ.: भिवाड़ी, दिल बहादुर/देवी खत्री छेत्री	21.02.2024 तक रु. 507429.26	भौतिक कब्जा	टॉवर एल-28, 203, बीडीआई आनंदा, गांव झिवाना और खातीवास, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान-305001,भारत.. माप 550 वर्ग फीट।	रु. 540000	रु. 54000	28.11.2024	रु. 10,000	18.11.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	29.11.2024 पूर्वा. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
00276660000803,00276700001234, बी.ओ. बीकानेर, श्री सुशील कुमार माली/कमला देवी माली, मुनि लाल नाई, अर्जुन सिंह एवं श्रवण कुमार माली,	21.12.2018 तक रु. 1279939.75	भौतिक कब्जा	वार्ड नंबर 19, मोहनपुरा, कच्ची बस्ती, पानी की टंकी के पास, नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान। पिन कोड:- 33480	रु. 1256000	रु. 125600	28.11.2024	रु. 10,000	18.11.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	29.11.2024 पूर्वा. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भो में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4.मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दीपक शाह/रवि कुमार/श्याम सिंह राजपुरोहित संपर्क नंबर 1800120880**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 09-11-2024 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को अलगाववादी नेता मलिक को उपचार मुहैया कराने को कहा

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आतंकवाद के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे और कथित तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आवश्यक उपचार मुहैया कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया।मलिक के स्वास्थ्य देखभाल का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केंद्र, दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया तथा उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। मलिक के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक नवंबर से भूख हड़ताल पर है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

अदालत ने कहा, ''नोटिस जारी किया जाए। जेल अधीक्षक से याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए, जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि जेल नियमावली के अनुरूप याचिकाकर्ता को आवश्यक उपचार मुहैया कराया जाए।'' मलिक को दिल्ली की एक अधीनस्थ अदालत ने 24 मई 2022 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर उसकी आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड में तब्दील करने का अनुरोध किया है। वहीं, उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि वह ''हृदय और गुर्दे के गंभीर रोगों'' से पीड़ित है और वर्तमान में जिंदगी के लिए जूझ रहा है। मलिक की याचिका में दावा किया गया है, ''ऐसे कई बार हुआ जब याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार था या अधीनस्थ अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की (धारा) 268 के आदेशों की आड़ में (मलिक को तिहाड़ जेल और दिल्ली में ही रखने) के लिए उसे न तो अस्पताल ले जाया गया और न ही अदालतों में पेश किया गया।''

प्रभात अभिनन्दन जयपुर से प्रकाशित दिनांक 09 नवम्बर 2024 **सार्वजनिक नीलामी सूचना (वाहन बिक्री हेतु)** **IndusInd Bank**

बैंक ने निम्नलिखित ऋणीयों के ऋण के पेटे दृष्टिबंधक वाहन के सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक 13.11.2024 को बिक्री करने का निर्णय लिया है।

Loan No	Name of Borrower	Co-Borrower	Vehicle Model	Regn No.	Engine No.	Chassis No.	Parking Yard
RJL01702G	INNAS	SAKIL	BAJAJ RE CNG 4S FI BS VI	RJ02PA7191	AZXWNC89240	MD2B47AX5NWC23136	JARSHED PARKING YARD
RRF01369G	SHYAMSUNDAR	DINESH	APE XTRA HT LDX+ CNG PU BS6	RJ05GB9724	TXTCSL13012688	MBX0008LB1M249747	ANOOP SINGH PARKING YARD
AA3C82697	ANTRI KUMARI MEENA	KARULAL MEENA	HYUNDAI CRETA 1.5 MT SX PETROL BS VI	RJ35CA5655	G4FLPB316341	MALPC812LPM589088	GEETA DEVI PARKING YARD SIKAR
AA2C13505	DASHRATH SINGH	NARENDRA SINGH	TATA TIAGO EV XT LR	RJ20CJ7404	TZ180XS92AB23072147	MAT568003PKG76167	PLASTO PROFILES KOTA
RJL01747G	RAVI	RATI	MARUTI SUPER CARRY STD CNG1.2L 5MT BSVI	RJ02GC3305	G12BN1157939	MA3EZLF1T00256293	JARSHED PARKING YARD ALWAR
930000141732	MANOJ MEGHWAL	PRAKASH MEGHWAL	BAJAJ RE MAXIMA X WIDE CNG BS6	RJ27PB6877	AZXWRB50831	MD2B18BX2RWB10392	ASHAPURA PARKING YARD
RUD01268G	ANIL	JIVA	ATUL GEM 3	RJ12PA6988	S3J9281252	MCG77A3DEJ2306880	HARI SINGH SHAKTAWAT
RUK01198G	NARESH	KAMLESH	ATUL SHAKTI CARGO	RJ30GB0747	A2J1548496	MCG51RFDDK2208403	ASHAPURA PARKING YARD
RUU01960G	DAMALA	DEVI LAL	TATA ACE GOLD DIESEL	RJ27GD7436	700CCDI02JYXS86608	MAT559015MZJ20370	HARI SINGH SHAKTAWAT
RUU02357G	KAILASH	PANNA LAL	APE CITY NXT+ CNG BS6	RJ27PB5971	TBP0SJ13007586	MBX0009HF1J223157	ASHAPURA PARKING YARD
RDH01015G	RAJESH SONI	HARISH	BAJAJ RE MAXIMA DIESEL X WIDE (D+3) BS6	RJ13PA8535	AZXWPD78331	MD2B55BX0PWD01020	CHAWALA PARKING YARD
RJJ04471G	TARA CHAND BAIRWA C CHAND BAIRWA	KHEM CHAND BAIRWA C CHAND BAIRW	BAJAJ MAXIMA Z CNG BS VI	RJ14PF9551	AZXWRL03684	MD2B17AX7RWL05283	VIJAY PRATAP PARKING YARD
RRJ01093G	JEETRAM J RAM	PURAN BAIRWA	APE CITY+ METRO CNG OBD2A BS6	RJ14PF9280	AMBCSH23015040	MBX0009ZF2J327820	VIJAY PRATAP PARKING YARD
RRJ01100G	MOHAN LAL HARIJAN	NARENDRA LAKHAN	APE AUTO DX CLS BSVI	RJ41PA0674	A3K1662196	MBX000AWF2K344595	VIJAY PRATAP PARKING YARD
RJJ03818G	NARESH	RADHESHAYAM	TATA ACE GOLD PETROL BS 6	RJ14GQ1628	275MPFI02CWXS37996	MAT559011PVC16667	SHRI SHYAM PARKING YARD
RJJ04130G	MANGAL	DURGESH	TATA ACE GOLD DIESEL BS VI	RJ14GQ5932	700CCDI04GWXS98290	MAT559033PZG19475	JAI GORIL BABA PARKING YARD
RRJ01013G	KRIPA	DHARMRAJ	APE CITY+ METRO CNG OBD2A BS6	RJ14PF6556	AMBCSH23014920	MBX0009ZF2H318386	VIJAY PRATAP PARKING YARD
933000001046	BHAWESH	MANOJ KR JAIN K M	TATA ACE GOLD DIESEL BS VI	RJ14GR2013	70022DI04KWXSD4394	MAT559033PVK56946	RAMESH CHAND CHIYA PARKING YARD
RRQ01607C	RAM	AJAY KUMAR	MARUTI NEW ALTO 800 LXI (O) BS VI	RJ44CA5949	F8DN6709375	MA3EUA61S00K67979	GUDAVADI PARKING YARD
RJE00460G	RAJESH KUMAR	GORADHAN	MAHINDRA ALFA DX DIESEL BS 6	RJ23PB4226	S2L9231168	MA1LE2NR9P3C16515	GEETA DEVI
RJS01438G	ESRIAL KHAN	BHAVAR KHAN	ATUL GEM PREMIUM	RJ37PA2853	S9K9033764	MCG27P3DKL1966764	MANGLAM PARKING
RJS01720G	ISRAT	MO SHAKIL	TATA ACE ZIP XL	RJ14GH4534	C600WIIIS6E8566422	MAT491011G6F08950	GEETA DEVI
RDF00868G	SAJID KHAN	MUMTAJ KHAN	BAJAJ RE MAXIMA DIESEL X WIDE	RJ23PB5540	BBXWRK69918	MD2B45AX4RWK02365	SHRI BALAJI
RJS01765G	ASHIP	MOHAMMED	MM JEETO S6-11	RJ23GB6095	UAH3B57234	MA1KA2UAEH3B49974	GEETA DEVI
RDK03516G	MANJUR	HASAN	APE CITY + LPG BS6	RJ07PB5055	AMBBSA13005373	MBX0007DF2A258148	BALAJI YARD
RDK03937G	SAROJ DEVI	RAMNIWAS	BAJAJ MAXIMA Z LPG BS VI	RJ50PA0940	AZXWPF07384	MD2B74BX8PWF19498	BALAJI YARD
RUB03302G	PRABHU	PAARAS	TATA ACE MEGA BS IV	RJ40GA2927	0.8LTDICRAIL08KSYSB1894	MAT535051HZK39178	JAGDAMBA MOTORS BHILWARA
RUC01349G	RAJU	RAMESH CHANDR	ATUL GEM 3P 200 BIFUEL CNG BS VI	RJ09PA6645	CGS22H09870	MCG61R3CGH2206498	CHOUDHARY PARKING YARD
RUC01512G	NIYAT	ABDUL	ATUL GEM 3P (D) BS VI	RJ09PA7012	S3H9267873	MCG77A3DEH2304901	CHOUDHARY PARKING YARD
AA5C13149	AJAY	PRAKASH	MARUTI OMNI E MPI STD 796CC BS III	RJ32UA5244	F8BIN4906089	MA3EVB11S01695857	SHREE RAM AGENCIES YARD

नीलामी की शर्तें:-नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को शाखा प्रबंधक के पास नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व धरोहर राशि/डीडी द्वारा जो इण्डसइण्ड बैंक जयपुर के नाम से देय जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीकर्ता को सफल खरीददार घोषित किया जावेगा। नीलामी का स्थान इण्डसइण्ड बैंक, यूनिक एसपायर बिल्डींग, 6 वी मंजिल, आम्रपाली सर्किल, जयपुर रहेगा। पता: छठवी मंजिल, युनिक एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर।

दिनांक:09.11.2024 स्थान:जयपुर प्रबन्धक

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08